ग्राम पंचायत छत्त, विकास खण्ड घुमारवीं जिला बिलासपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2014 से 03/2017

भाग—एक

1 **प्रस्तावनाः—**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि॰प्र॰, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत छत्त, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2014 से 03/2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :—

प्रधान :—

क्र॰	नाम	अवधि
1	श्रीमति सोमा देवी	01.04.2013 से 22.01.2016
2	श्रीमति ऊषा ठाकुर	23.01.2016 से 31.03.2016

सचिव :—

क्र॰	नाम	अवधि
1	श्री राजेन्द्र पाल	01.04.2014 से 08.07.2014
2	श्री सुनील कुमार	09.07.2014 से 09.09.2014
3	श्री केवल कृष्ण	10.09.2014 से 31.03.2014

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः— ग्राम पंचायत छत्त, विकास खण्ड घुमारवीं जिला बिलासपुर के अवधि 04/2014 से 03/2017 के लेखाओ के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र॰	पैरा सं॰	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में भारी अन्तर	1.42
2	6	नियम विरूद्ध एकाधिक रोकड़ बहियों का प्रयोग	——
3	7	नियमों के विरूद्ध सात बैंक बचत खातों का खोला जाना	——

4	8	बैंक समाधान विवरणी को प्रतिमाह तैयार न करना	––
5	9	खाता 'ख' के ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित न किया जाना	1.82
6	10	प्राप्त आय का लेखांकन न करना	1.01
7	14	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.19
8	15	अनुदान राशि का अवरोधन	32.70
9	16	हरियाली के अनुदान राशि को बिना उपयोग वापिस करना	0.38
10	17	बिना बिलों के किया गया संदिग्ध भुगतान	0.23
11	18	रोकड़ बहियों में दर्ज व्यय के बिल/वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	3.92
12	19	बिना उचित बिलों के किया गया संदिग्ध व्यय	2.08
13	21	निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टाक/स्टोर का क्रय करना	3.40
14	22	सीमेंट गोदाम हेतु किराए पर लिए गए कमरे के किराए का मूल्यांकन लोक निर्माण विभाग से न करवाए जाने के कारण किया गया अनियमित व्यय	0.12
15	25	रसीद बुकों का स्टॉक नियमानुसार न रखा जाना	––

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत छत्त, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2014 से 03/2017 के लेखाओं का प्रथम एव वर्तमान अंकेक्षण श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 27/04/2017 से 04/05/2017 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 12/2014, 01/2016, 11/2015 व 12/2014, 07/2015, 03/2017 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत छत्त, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2014 से 03/2017 के लेखाओं अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण

शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं• अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2017/–71 दिनांक 03/05/2017 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशी हि. प्र. रा. स. बैंक बरठीं के चैक संख्या 740205 दिनांक 24–05–2017 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

4 वित्तीय स्थितिः–

पंचायत सचिव़ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2014 से 03/2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	1160014	2850157	4010171	3284327	725844
2015–16	725844	1328503	2054347	940352	1113995
2016–17	1113995	5413878	6527873	3257729	3270144

टिप्पणीः– ग्राम पंचायत छत्त द्वारा स्व–स्त्रोतों (खाता ''क'') के आय–व्यय के लिए हि0प्र0 राज्य सह बैंक की बरठीं शाखा में बचत खाता 10410109861 तो नियमानुसार अलग से खोल लिया गया है तथा इससे सम्बन्धित आय व्यय का लेखांकन खाता ''क व ख'' की संयुक्त रोकड़ बही में किया जा रहा है परन्तु इससे सम्बधित लैजर तथा वर्गीकृत सार का अनुरक्षण नहीं किया गया है। इस कारण पंचायत के स्व–स्त्रोतों से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति तैयार नहीं की जा सकी है।

5 रोकड़ वही व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹1.42 लाख का भारी अन्तरः–

ग्राम पंचायत छत्त की रोकड़ बही अनुसार संकलित वित्तीय स्थिति के उपरोक्त ₹32,70,144 के अन्तशेष की राशि का बैंक खातों में जमा विवरण तथा सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः–

क्र	खाता	अन्त शेष (₹)
	रोकड़ बही के अनुसार वित्तीय स्थितिः–	
	रोकड़ बही के अनुसार खाता ''क व ख'' का अन्तशेष – पैरा 4	**3270144**

बैंक खातों में उपलब्ध अन्तशेषः–

	विवरण	बैंक	खाता	
1	पंचायत निधि– खाता 'क'	हि•प्र•रा•स• बैंक बरठीं	9861	31382
2	पंचायत निधि–खाता 'ख'	हि•प्र•रा•स• बैंक बरठीं	9103	3426870
3	इन्दिरा आवास योजना	हि•प्र•रा•स• बैंक बरठीं	9123	0
4	मनरेगा	हि•प्र•रा•स• बैंक बरठीं	10981	0
5	हरियाली परियोजना	हि•प्र•रा•स• बैंक बरठीं	9116	0
6	स्वजल धारा परियोजना	भारतीय स्टेट बैंक बरठीं	92132	177567
बैंक खातों में जमा राशि का कुल योगः				**3635819**

बैंक समाधान विवरणीः–

रोकड़ बहियों के अनुसार अन्तशेषः		**3270144**
जमाः– वो चैक जो 31–03–2017 से पूर्व जारी किए गए थे परन्तु भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए हैंः–		
सामान्य रोकड़ बही के खाता संख्या 9103 से जारी चैक संख्या 765339	7200	
सामान्य रोकड़ बही के खाता संख्या 9103 से जारी चैक संख्या 765328	6200	
सामान्य रोकड़ बही के खाता संख्या 9103 से जारी चैक संख्या 765347	12000	
सामान्य रोकड़ बही के खाता संख्या 9103 से जारी चैक संख्या 765351	27750	
सामान्य रोकड़ बही के खाता संख्या 9103 से जारी चैक संख्या 769365	12000	
सामान्य रोकड़ बही के खाता संख्या 9103 से जारी चैक संख्या 765345	45000	
सामान्य रोकड़ बही के खाता संख्या 9103 से जारी चैक संख्या 769352	2000	
सामान्य रोकड़ बही के खाता संख्या 9103 से जारी चैक संख्या 769354	9500	
सामान्य रोकड़ बही के खाता संख्या 9103 से जारी चैक संख्या 765331	1000	
सामान्य रोकड़ बही के खाता संख्या 9103 से जारी चैक संख्या 769359	2200	
सामान्य रोकड़ बही के खाता संख्या 9103 से जारी चैक संख्या 769368	2200	
सामान्य रोकड़ बही के खाता संख्या 9103 से जारी चैक संख्या 769362	1800	
सामान्य रोकड़ बही के खाता संख्या 9103 से जारी चैक संख्या 769355	36800	
सामान्य रोकड़ बही के खाता संख्या 9103 से जारी चैक संख्या 765307	2800	
सामान्य रोकड़ बही के खाता संख्या 9103 से जारी चैक संख्या 769369	15388	
सामान्य रोकड़ बही के खाता संख्या 9103 से जारी चैक संख्या 769360	2200	
सामान्य रोकड़ बही के खाता संख्या 9103 से जारी चैक संख्या 769366	1800	
सामान्य रोकड़ बही के खाता संख्या 9103 से जारी चैक संख्या 769367	1800	
सामान्य रोकड़ बही के खाता संख्या 9103 से जारी चैक संख्या 769363	1800	
सामान्य रोकड़ बही के खाता संख्या 9103 से जारी चैक संख्या 769364	1800	
सामान्य रोकड़ बही के खाता संख्या 9103 से जारी चैक संख्या 769358	2200	
सामान्य रोकड़ बही के खाता संख्या 9103 से जारी चैक संख्या 769357	12000	
सामान्य रोकड़ बही के खाता संख्या 9103 से जारी चैक संख्या 769370	12000	
सामान्य रोकड़ बही के खाता संख्या 9103 से जारी चैक संख्या 769374	4900	
(+) उपरोक्त चैकों का कुल योगः		**224338**

(+) जमाः—	**7**
हि•प्र•रा•स• बैंक बरठीं द्वारा खाता संख्या 9103 में दिनांक 30.09.2015 को ₹7209 ब्याज के रूप में जमा की गई है परन्तु खाता ''ख'' का रोकड़ बही में मात्र ₹7202 आय के रूप में दर्ज की गई है जिस कारण ₹7 का अन्तर पाया गया हैः—	
(—) घटानाः—	**(—) 600**
स्वजल धारा परियोजना के भारतीय स्टेट बैंक खाता संख्या 92132 से चैक संख्या 962754 ₹90,600 के लिए जारी तथा भुगतान किया गया है परन्तु रोकड़ बही में पृष्ठ 21 पर दिनांक 22/05/2014 को व्यय में मात्र ₹90,000 दर्ज किया गया है जिस कारण ₹600 का अन्तर आ गया हैः—	
रोकड़ बहियों का संशोधित शेषः	**3493889**
बैंक खातों अनुसार अन्तशेषः	**3635819**
अन्तर जो कि खाता 'क व ख' की संयुक्त रोकड़ बही से सम्बन्धित है :—	**141930**

उपरोक्त ₹1,41,930 के अन्तर के कारणों को स्पष्ट करते हुए सुधारात्मक कार्यवाही करके रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 नियमविरूद्ध एकाधिक रोकड़ बहियों का निर्माण करने बारेः—

हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत पंचायत के समस्त लेनदेन को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किए जाने का प्रावधान है। परन्तु पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार वर्तमान में चार अलग—अलग रोकड़ बहियों का अनुरक्षण किया गया है। अतः नियमों के विरूद्ध एक के स्थान पर अनुरक्षित इन चार रोकड़ बहियों बारे उचित स्पष्टीकरण सहित भविष्य के लिए इन अतिरिक्त रोकड़ बहियों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

7 नियमों के विरूद्ध सात बैंक बचत खातों का खोला जानाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमें से खाता 'क' में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता 'ख' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है। परन्तु ग्राम पंचायत छत्त में दो के स्थान गत पैरा 5 में वर्णित छः बैंक बचत खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विरूद्ध खोले गए

इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन चार अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

8 नियमानुसार बैंक समाधान विवरणी को प्रतिमाह तैयार न करनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10(1) तथा रोकड़ बही के लिए इन नियमों में प्रावधित ''प्रारूप—5'' के आरम्भ में दी गई टिप्पणी के अनुसार पंचायतों की रोकड बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य है। परन्तु पंचायत के लेखाओं की नमूना अंकेक्षण जांच में पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना पूर्ण रूप में नहीं की जा रही है। लेखांकन के मूलभूत नियमों के अनुसार बैंक समाधान विवरणी का प्रतिमाह बनाया जाना आवश्यक है लेकिन ग्राम पंचायत छत द्वारा इन प्रावधानों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

9 खाता 'ख' के ₹1.82 लाख के ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित न किया जानाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता 'ख' में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयँ संसाधनों के खाता 'क' में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत छत्त के बैंक खातों की जांच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्न तालिका के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹1,81,941 खाता 'ख' से सम्बन्धित बचत खातों में ब्याज के रूप में अर्जित किए गए थे जिन्हें उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता 'क' में अन्तरित किया जाना था परन्तु नहीं किया गया है। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अब तक खाता 'ख' के समस्त बैंक खातों में अर्जित ब्याज को तुरन्त खाता 'क' में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

खाता संख्या						माह / वर्ष	कुल
	9/2013	3/2014	9/2014	3/2015	9/2015	3/2016	ब्याज
109103	7219	6776	7209	9801	31510	68015	130530
110981	425	186	14	10	7	10	652
109123	2823	1590	585	1052	1929	0	7979

109116	6732	3230	3538	3511	1271	158	18440
192132	5387	3351	3480	3525	3389	5208	24340
कुल योग	**22586**	**15133**	**14826**	**17899**	**38106**	**73391**	**181941**

10 पंचायत को प्राप्त ₹1.01 लाख की आय का लेखांकन न करनाः–

पंचायत की आय से सम्बन्धित अभिलेख की नमूना जांच में पाया गया कि कुछ प्रकरणों में निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार आर टी जी एस अनुदान तथा ब्याज के रूप में बैंक खाता संख्या 10410109103 में ₹1,01,421 की प्राप्त आय को रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया है। यह एक अति गम्भीर त्रुटि है जिसके कारण रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर पाया गया है। अतः इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

दिनांक 31.3.2017 को आर टी जी एस से प्राप्त अनुदान	21406
दिनांक 31.3.2017 को आर टी जी एस से प्राप्त अनुदान	12000
दिनांक 31.3.2017 को ब्याज से प्राप्त आय	68015
कुल योग	**101421**

11 वर्गीकृत सार को तैयार न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए, एक आय तथा एक व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु साथ आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

12 नियमानुसार निवेश न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों (Surplus Funds) को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षणावधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के अनुसार पंचायत द्वारा किए गए निवेश के सन्दर्भ में प्रारूप–1 के आधार पर निवेश रजिस्टर का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। अतः भविष्य में नियम 11 की अनुपालना में किए जाने वाले निवेश के लिए नियमानुसार इस रजिस्टर का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाए।

13 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

14 पंचायत राजस्व ₹18,920 का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

पंचायत सचिव ग्राम पंचायत छत्त द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2017 तक पंचायत के राजस्व ₹18,920 की वसूली शेष थी।

1 गृहकर : पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2014–15 में 850, 2015–16 में 850 तथा 2016–17 में 850 परिवारों के लिए ₹10 प्रति परिवार की दर से वर्ष 2014–15 तथा 2015–16 एवं तत्पश्चात ₹30 प्रति परिवार से प्राप्य गृहकरः–

वर्श	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014–15	8500	8500	17000	0	17000
2015–16	17000	25500	42500	0	42500
2016–17	42500	25500	68000	49080	18920

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

15 अनुदान ₹32.70 लाख का अवरोधनः–

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–1** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31–03–2017 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹32,70,144 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रर्त्यापण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

16 हरियाली के अनुदान की ₹0.38 लाख की राशि को बिना उपयोग वापिस करने बारेः–

स्वजल धारा परियोजना की रोकड़ बही की नमूना अंकेक्षण जांच में पाया गया कि पृष्ठ 28 पर दिनांक 31.03.2016 को निधि के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान की राशि में से ₹37,931 को बिना उपयोग किए ही खण्ड विकास अधिकारी, झण्डुता को लौटा दिया गया है क्योंकि उस समय ग्राम पंचायत छत्त विकास खण्ड झण्डुता का अंग थी। इस अनुदान को वापिस किए जाने के सन्दर्भ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने बारे न तो अन्य कोई पत्राचार/अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया गया और न ही खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय से प्राप्ति की रसीद ही प्रस्तुत की गई। अतः अनुदान की इस राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सम्बन्धित अभिलेख का अगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17 बिना बिलों के किया गया ₹0.23 लाख का संदिग्ध भुगतानः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (1 व 2) के अनुसार पंचायत निधियों से किए गए प्रत्येक व्यय हेतु जो वाउचर तैयार किया जाएगा उसमें विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता के बिल को सब–वाउचर के रूप में लगाया जाएगा। चयनित माह के वाउचरों की नमूना जांच में पाया गया कि विभिन्न रोकड़ बहियों में निम्न विवरणानुसार दर्ज ₹23,458 के व्यय के विरूद्ध किसी भी प्रकार के बिल वाउचर नस्तियों में उपलब्ध नहीं थे। बिना बिलों के दर्ज इस संदिग्ध व्यय की सम्पूर्ण जांच विभागीय स्तर पर करके किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने की परिस्थिति में इस अनुचित भुगतान की वसूली उत्तरदायी से करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र•	दिनांक	रो.ब. पृष्ठ	विवरण	राशि (₹)
	पंचायत निधि खाता 'क व ख'ः–			
1	7.3.17	38	हि प्र नागरिक आपूर्ती विभाग से सीमेंट खरीद	19962
2	30.3.17	43	फोटोस्टेट का कार्य	496
	हरियालीः–			
3	31.3.16	28	लेखन सामग्री	3000
कुल योगः				**23458**

18 रोकड़ बहियों में दर्ज ₹3.92 लाख के व्यय के बिल वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः—

ग्राम पंचायत छत्त के लेखाओं की अंकेक्षणावधि के लिए नमूना जांच में पाया गया कि निम्न तालिका में दिए विवरणानुसार स्वजल धारा तथा हरियाली परियोजनाओं के अन्तर्गत सम्बन्धित रोकड़ बहियों में ₹3,92,300 का व्यय दर्ज किया गया है परन्तु इस व्यय के सन्दर्भ में किसी भी प्रकार के बिल/वाउचर पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं पाए गए अथवा अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किए गएः—

क्र•	परियोजना	अवधि	व्यय की गई राशि (₹)
1	स्वजल धारा	04/2014 से 03/2017	148350
2	हरियाली	04/2014 से 08/2014	243950
	कुल योगः—		**392300**

यह एक अति गम्भीर अनियमितता है अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है तथा इसकी विस्तृत जांच पश्चात वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए इस महत्वपूर्ण अभिलेख का अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए अथवा किए गए व्यय की उत्तरदायी के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करते हुए इस राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

19 बिना उचित बिलों के किया गया ₹2.08 लाख का संदिग्ध व्ययः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (1 व 2) के अनुसार पंचायत निधियों से किए गए प्रत्येक व्यय हेतु जो वाउचर तैयार किया जाएगा उसमें विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता के बिल को सब—वाउचर के रूप में लगाया जाएगा। ग्राम पंचायत छत्त के अंकेक्षणावधि के चयनित माह के वाउचरों की नमूना अंकेक्षण जांच में पाया गया कि रोकड़ बहियों में दर्ज ₹2,07,513 के व्यय के विरूद्ध विक्रेता अथवा आपूर्तीकर्ता के उचित आपूर्ती बिल उपलब्ध नहीं थे जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

क्र•	दिनांक	रो. ब. पृष्ठ	विवरण	राशि (₹)
	पंचायत निधि खाता 'क व ख':—			
1	8.12.14	135	रेत, बजरी व पत्थर	20000

2	15.12.14	135	रेत, बजरी व पत्थर	9500
3	23.12.14	137	रेत, बजरी व पत्थर	15000
4	5.1.15	137	रेत, बजरी व पत्थर	5000
5	20.3.17	39	बजरी व पत्थर	7300
6	15.2.17 व 22.3.17	35 व 40	बजरी व पत्थर (एक बिल का दो किस्तों में भुगतान)	14600
7	22.3.17	40	रेत, बजरी व पत्थर	6700
8	24.3.17	41	पत्थर, रेत व बजरी	21000
9	30.3.17	43	पत्थर, रेत व बजरी	15388
	मनरेगाः–			
10	9.8.16	25	पत्थर, रेत व बजरी	17700
11	9.8.16	26	शटरिंग	7200
12	9.8.16	27	निर्माण सामग्री ढुलाई भाड़ा	12000
	हरियालीः–			
13	6.11.14	12	रेत व बजरी	21325
14	7.9.15	24	पत्थर, रेत व बजरी	17528
15	7.9.15	24	पत्थर, रेत व बजरी	6472
16	7.9.15	26	शटरिंग	1920
17	7.9.15	26	पत्थर, रेत व बजरी	4080
18	7.9.15	26	पत्थर, रेत व बजरी	4800
	कुल योगः			**207513**

इन प्रकरणों में पंचायत द्वारा एक मुद्रित प्रोफॉर्मा जैसा कि आमतौर पर अन्य सरकारी विभागों द्वारा आपूर्तीकर्ता के बिल के साथ विभागीय प्रयोग हेतु आवरण वाउचर (covering voucher proforma) के रूप में प्रयोग किया जाता है, अथवा कम्पयूटर पर टाइप किए अथवा हस्तलिखित बिल/प्रार्थना पत्र पर ही बड़ी बड़ी राशियों का भुगतान करते हुए आपूर्तीकर्ता की रसीद दर्शाई गई है और पंचायत सचिव, पंचायत प्रधान तथा पंचायत सदस्यों द्वारा सत्यापित किया गया है। आपूर्तीकर्ता के उचित बिल तथा रसीद के अभाव में यह व्यय उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः इन प्रकरणों तथा इनके जैसे अन्य प्रकरणों की पंचायत द्वारा अपने स्तर पर गहन जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सक्षम उच्चाधिकारी की स्वीकृति से इस व्यय को नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु इस कार्यप्रणाली को तुरन्त प्रभाव से बन्द करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

20 निर्माण सामग्री की खरीद उचित बिलों के बिना करनाः–

गत पैरा में दिया गया विवरण मात्र अंकेक्षणावधि के लेखाओं की नमूना जांच से सम्बन्धित है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी देखने में आया था कि पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों विशेषतः मनरेगा कार्यों के लिए रेत, बजरी, पत्थर, ईंट इत्यादि निर्माण सामग्री की खरीद भी इसी प्रक्रिया के अन्तर्गत बिना उचित बिलों के की गई है। आपूर्तीकर्ता के उचित बिल तथा रसीद के अभाव में यह व्यय भी उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः इन प्रकरणों की भी पंचायत द्वारा अपने स्तर पर गहन जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सक्षम उच्चाधिकारी की स्वीकृति से इस व्यय को नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु इस कार्यप्रणाली को तुरन्त प्रभाव से बन्द करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

21 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹3.40 लाख के स्टाक/स्टोर का क्रय करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹3,40,074 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र•	दिनांक	रो. ब. पृष्ठ	विवरण	राशि (₹)
	पंचायत निधि खाता 'क व ख':–			
1	8.12.14	135	रेत, बजरी व पत्थर	20000
2	15.12.14	135	रेत, बजरी व पत्थर	9500
3	23.12.14	137	रेत, बजरी व पत्थर	15000
4	5.1.15	137	रेत, बजरी व पत्थर	5000
5	18.3.17	39	रंग रोगन की सामग्री	8700
6	20.3.17	39	बजरी व पत्थर	7300
7	15.2.17 व 22.3.17	35 व 40	बजरी व पत्थर (एक बिल का दो किस्तों में भुगतान)	14600
8	22.3.17	40	रेत, बजरी व पत्थर	6700
9	24.3.17	41	पत्थर, रेत व बजरी	21000

10	27.3.17	42	ईंटें	19000
11	27.3.17	42	पत्थर, रेत व बजरी	26000
12	30.3.17	43	पत्थर, रेत व बजरी	15388
	मनरेगाः–			
13	23.5.16	24	सरिया	16886
14	9.8.16	25	पत्थर, रेत व बजरी	17700
15	9.8.16	26	शटरिंग	7200
16	9.8.16	27	निर्माण सामग्री ढुलाई भाड़ा	12000
	हरियालीः–			
17	18.9.14	11	सरिया	17220
18	19.3.15	14	पॉपलर के पौधे	30000
19	19.3.15	14	आंवला के पौधे	12000
20	20.8.15	15	लेखन सामग्री	6000
21	7.9.15	16	पॉपलर के पौधे	20000
22	7.9.15	24	पत्थर, रेत व बजरी	17528
23	7.9.15	24	पत्थर, रेत व बजरी	6472
24	7.9.15	26	पत्थर, रेत व बजरी	4080
25	7.9.15	26	पत्थर, रेत व बजरी	4800
	कुल योगः			**340074**

उपरोक्त विवरण मात्र चयनित माह से सम्बन्धित है तथा इसके अतिरिक्त भी भण्डार के लिए की गई अन्य खरीद के अधिकतर मामलों में जो ₹3000 से अधिक है को निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं के बिना ही किया गया है। अतः स्टाक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम उच्चाधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टाक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

22 सीमेंट गोदाम हेतु किराए पर लिए गए कमरे के किराए का मूल्यांकन लोक निर्माण विभाग से न करवाए जाने के कारण किया गया ₹0.12 लाख का अनियमित व्ययः–

ग्राम पंचायत द्वारा श्री अमर सिंह, गांव संडियार से सीमेंट गोदाम के रूप में कमरा किराए पर लिया गया है जिसके एवज़ में हरियाली परियोजना की रोकड़ बही में पृष्ठ 15 पर दिनांक 20.8.2015 को ₹12000 किराए का अनियमित भुगतान 30 महीनों के लिए ₹400 प्रतिमाह की दर से दर्ज किया गया है। यह कमरा कब से किराए पर लिया गया था इसका विवरण पंचायत में उपलब्ध नहीं था और न ही इस किराए के भुगतान का संकलित विवरण किसी रजिस्टर इत्यादि में रखा गया है जिस कारण से इस कमरे के किराए के रूप में अब

तक किए गए कुल अनियमित व्यय की गणना नहीं की जा सकी। हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमों में किसी सरकारी विभाग द्वारा निजी सम्पत्ति को किराए पर लिए जाने के लिए प्रावधित नियमों के अनुसार किसी ऐसी सम्पत्ति को किराए पर लेने से पूर्व अथवा किराया वृद्धि हेतु इसके किराए का मूल्यांकन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग से करवाना आवश्यक है। परन्तु इस प्रकरण में पंचायत द्वारा इन प्रावधानों की अनुपालना नहीं की गई है तथा इस गोदाम के किराए का मूल्यांकन न तो कमरा किराए पर लेते वक्त करवाया गया है और न ही किराया वृद्धि के वक्त करवाया गया है। इस कारण से इस गोदाम को किराए पर लिए जाने से अब तक किराए के रूप में किया गया समस्त भुगतान अनियमित व अनुचित है। अतः गोदाम किराए का मूल्यांकन नियमानुसार लोक निर्माण विभाग से न करवाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को अब लोक निर्माण विभाग से इसका मूल्यांकन नियमानुसार सुनिश्चित करने के अतिरिक्त अब तक इस मद में किए गए कुल व्यय को सक्षम उच्चाधिकारी की विशेष कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23 लॉटरी की टिकटों हेतु ₹500 का अनुचित भुगतानः–

पंचायत निधि की रोकड़ बही की नमूना जांच में पाया गया कि पृष्ठ 43 पर दिनांक 30–03–2017 को ₹500 का भुगतान ग्रीष्मोतस्व घुमारवीं के लिए खण्ड विकास अधिकारी घुमारवीं को स्वैच्छिक दान के रूप में टिकट संख्या 2325 से 2327 (₹100×3) ₹300 तथा टिकट संख्या 1829 से 1832 (₹50×4) ₹200/– किया गया है। हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 8 के प्रावधानों के अनुसार यह भुगतान पंचायत निधि पर उचित प्रभार नहीं है अतः इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करते हुए निधि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

24 एकाधिक रसीद बुकों का एक साथ अनुचित प्रयोगः–

लेखांकन के सामान्य नियमों तथा सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एक पंचायत में एक समय में एक ही रसीद बुक को प्रयोग में लाया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत छत्त के लेखाओं की नमूना जांच में पाया गया कि यहां पर निम्न विवरणानुसार अंकेक्षणावधि के दौरान एकाधिक रसीद बुकों का प्रयोग किया गया है जिनमें अंकेक्षण के समय तक बहुत सी खाली रसीदें पड़ी थीं।

क्र	रसीद बुक	प्रयुक्त की गई अन्तिम रसीद	अन्तिम दिनांक/माह	खाली पड़ी रसीदें
1	64501 से 600	64557	07/2015	43
2	64701 से 800	64737	03/2015	63

अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए प्रथमतयः इन खाली रसीदों का प्रयोग किया जाए तथा तदोपरान्त इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

25 रसीद बुकों का स्टॉक नियमानुसार न रखा जानाः—

रसीद बुकों के स्टॉक की नमूना जांच में पाया गया कि इसे हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5(5) के प्रावधानों के अनुसार नहीं रखा जा रहा है। इस नियम के अन्तर्गत रसीद बुकों के अभिलेखन के सन्दर्भ में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैंः—

1. इस नियम के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त खाली रसीद बुकों का अभिलेखन सामान्य स्टॉक रजिस्टर से अलग हि•प्र• पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में प्रावधित फॉर्म—2 में रसीदों के स्टॉक रजिस्टर में रखा जाएगा।
2. खाली रसीद बुकें सचिव की निजि अभिरक्षा में अलमारी में ताला लगा कर रखी जाएगी।
3. नई रसीद बुक को आरम्भ करने से पूर्व प्रधान द्वारा उसमें पाई गई खाली रसीदों को प्रमाणपत्र सहित सत्यापित किया जाएगा।

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13(5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि वह जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत/जारी खाली रसीदों का प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप ''4'' के अनुसार बनाए गए स्टॉक रजिस्टर में रखे। परन्तु ग्राम पंचायत छत्त में इस प्रकार का कोई अभिलेख तैयार ही नहीं किया गया है। जिस कारण से अंकेक्षणावधि के दौरान खरीदी गई तथा प्रयोग की गई रसीदों का न तो संकलित विवरण तैयार किया जा सका है तथा न ही उसकी नमूना अंकेक्षण जांच सम्भव हो पाई है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षणावधि के दौरान लेखांकित की गई आय भी रसीदों के अभिलेख के अभाव में संदिग्ध हो जाती है। अतः इस अनियमितता के बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इस अवधि के दौरान खरीदी गई रसीदों का अभिलेख जिला पंचायत अधिकारी

के कार्यालय से प्राप्त करके इनके प्रयोग का विवरण तैयार करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

26 दिनांक रहित रसीदें जारी करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा बहुत सी प्राप्तियों के लिए जारी रसीदों पर जारी करने की दिनांक दर्ज नहीं की गई है। जो कि नियमविरूद्ध होने के अतिरिक्त निधियों का अस्थाई दुर्विनियोजन भी है। अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

27 प्राप्त अनुदान के लिए रसीदें जारी न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (1 से 3) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत अथवा तरीके से प्राप्त आय/अनुदान के लिए इन नियमों में दिए गए प्रारूप–3 में रसीद जारी करनी आवश्यक है। परन्तु ग्राम पंचायत के लेखओं की नमूना जांच में पाया गया कि अंकेक्षणावधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों विशेषतः आर• टी• जी• एस•/ऑलाइन बैंक प्राप्तियों के लिए किसी भी प्रकार की रसीद जारी नहीं की गई है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

28 जारी प्रमाणपत्रों के शुल्क के अभिलेख का अनुरक्षण/संकलन न करनाः–

पंचायत कार्यालय विवाह, जन्म व मृत्यु, परिवार, राशन कार्ड इत्यादि के लिए पंजीकरण कार्यालय के रूप में भी कार्य करता है तथा इनके पंजीकरण के समय पंजीकरण शुल्क तथा सम्बन्धित प्रमाणपत्र जारी करते समय प्रमाणपत्र शुल्क वसूल किया जाता है जो कि पंचायत की आय का एक प्रमुख स्त्रोत है। इन शुल्कों से सम्बन्धित अभिलेख की नमूना अंकेक्षण जांच में पाया गया कि इस मद में एकत्र राशि का कोई विवरण संकलित नहीं किया गया है, और न ही सम्बन्धित रजिस्टरों में वसूली के बारे में कोई सन्दर्भ दिया गया है। इस अभिलेख के अभाव में अंकेक्षण के दौरान न तो इस मद में एकत्र कुल राशि की जानकारी उपलब्ध हो पाई और न ही इसकी नमूना अंकेक्षण जांच की जा सकी है। यह एक अति गम्भीर अनियमितता है जिस बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

29 मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख रखाव न किया जानाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व 77(4) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को फॉर्म 10 में पंचायत की वर्ष के दौरान संभावित समस्त आय के लिए मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख रखाव करना होगा। परन्तु ग्राम पंचायत छत्त में इस प्रावधान की अवहेलना करते हुए इस रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया है अथवा अंकेक्षण के दौरान अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार मांग व प्राप्ति रजिस्टर का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

30 मनरेगा अभिलेख का अपूर्ण पाया जानाः–

ग्राम रोजगार सहायक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख की नमूना जांच में पाया गया कि मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख का दैनिक आधार पर अद्यतन (Update) नहीं किया जा रहा है। मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई हैंः–

1. **अधूरा मस्ट्रौल रजिस्टरः–** पंचायत द्वारा मस्ट्रौल रजिस्टर में मस्ट्रौल को जारी करने से लेकर भुगतान तक का सम्पूर्ण विवरण जैसे जारी करने की दिनांक, दिहाड़ीदार की कार्ड संख्या, कार्य का नाम, रोजगार अवधि, किए गए कार्य दिवस, भुगतान का ब्यौरा जैसे दिनांक, राशि, रोकड़ बही का पृष्ठ इत्यादि सम्पूर्ण ब्यौरा दर्ज करने के स्थान इनमें से मात्र आधी अधूरी जानकारी ही दर्ज की जाती है।
2. **अधूरे रोजगार कार्डः–** रोजगार कार्ड भी अधूरे पाए गए हैं जिनमें कार्डधारक को उपलब्ध करवाए गए रोजगार के सन्दर्भ में नियमानुसार निर्धारित कॉलम में प्रविष्टियां नहीं की गई हैं।
3. संलग्न **परिशिष्ट '2'** पर दर्ज टिप्पणी देकर पंचायत रोजगार सहायक व सचिव द्वारा स्वीकारोक्ति की गई है कि मनरेगा के अन्तर्गत मांगे गए रोजगार आवेदनों का सम्पूर्ण अभिलेख पंचायत द्वारा नहीं रखा गया है। यह अभिलेख मनरेगा अधिनियम के अधीन तथा योजना के अन्तर्गत किए जा रहे व्यय में पारदर्शिता हेतु रखा जाना अति आवश्यक है। परन्तु इस मूल अभिलेख के अभाव में अंकेक्षणावधि के तीन वर्षों के दौरान किया गया ₹21,07,360 का समस्त व्यय तथा **परिशिष्ट ''2''** के अनुसार 4827 दिनों के लिए दिए गए रोजगार की सारी प्रक्रिया संशयपूर्ण हो जाती है।

4. **सम्पत्ति रजिस्टर का न रखा जानाः–** हिमाचल प्रदेश सरकार, ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक एस एम एस –1/2016–16–आर डी (पी आर सी) दिनांक 13–05–2016 तथा इससे पूर्व में समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अन्तर्गत मनरेगा के अन्तर्गत करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों का विवरण पंचायत के सम्पत्ति रजिस्टर में रखा जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत छत्त द्वारा इन प्रावधानों की अवहेलना करते हुए सम्पत्ति रजिस्टर का पूर्ण अनुरक्षण करने के स्थान पर मात्र मनरेगा योजना के अन्तर्गत करवाए गए कार्यों का ही आधा अधूरा अभिलेखन किया गया है।

5. **मनरेगा के निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सामग्री के स्टॉक रजिस्टर का अनियमित अनुरक्षणः–** इस रजिस्टर की जांच में पाया गया कि इसका अनुरक्षण खरीदी गई सामग्री के प्रकार के आधार पर प्रत्येक वस्तु की प्रविष्टि अलग–अलग पृष्ठ पर करने के स्थान पर प्रत्येक निर्माण कार्य के आधार पर उस कार्यविशेष में प्रयोग की गई सामग्री के आधार पर किया गया है। जो कि नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित है। इसके अतिरिक्त इस रजिस्टर का अभिलेखन 09/2016 से आरम्भ किया गया है तथा इससे पूर्व खरीदी गई सामग्री के सन्दर्भ में किसी प्रकार का अभिलेख पंचायत के पास उपलब्ध नहीं है।

मनरेगा अभिलेख में उपरोक्त त्रुटियों का पाया जाना एक अति गम्भीर अनियमितता है तथा यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही एवं दिशानिर्देशों हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस अभिलेख का पूर्ण अद्यतन (Updation) करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

31 पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों से सम्बन्धित नियमानुसार प्रावधित किसी भी प्रकार के अभिलेख का अनुरक्षण न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पंचायत अधिकारियों से अंकेक्षणावधि के दौरान करवाए गए निर्माण कार्यों का विस्तृत ब्यौरा, दिनांक 31–03–2016 को अधूरे निर्माण कार्यों का ब्यौरा तथा इससे सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। यह सूचनाएं अभिलेख सहित पंचायत तकनीकी सहायक द्वारा तैयार व प्रस्तुत की जानी अपेक्षित थीं परन्तु न तो यह सूचनाएं और न ही सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। वर्तमान पंचायत तकनीकी सहायक, सचिव तथा पंचायत प्रधान द्वारा प्रमाणपत्र **(परिशिष्ट ''3'')** जारी करते हुए बताया गया कि तत्कालीन तकनीकी सहायक द्वारा निर्माण कार्यों से सम्बन्धित हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के

अध्याय 11 में नियम 93 से 107 तक में प्रावधित तथा वांछित अभिलेख तैयार नहीं किया गया है। पंचायत कर्मचारियों द्वारा अंकेक्षण से असहयोग तथा उपरोक्त नियमानुसार अभिलेख को तैयार न करना एक अति गम्भीर अनियमितता है जो कि उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाई जाती है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षणावधि 04/2014 से 03/2017 तक का समस्त अभिलेख अब अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए जाने के अतिरिक्त की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

32 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियां:—

ग्राम पंचायत छत्त के लेखाओं की वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण जांच उपरान्त निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:—

32.1:— ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक एक अनुभागी/संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ उपरोक्त नियमों के **''परिशिष्ट – ई''** में दिए गए अनुबन्ध प्रारूप के अनुसार अनुबन्ध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा है।

32.2:— निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार आयकर, बिक्री कर, लेबर सैस तथा रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।

32.3:— इन बिलों में किए गए कार्य की प्रमात्रा तथा खरीदी गई सामग्री का सत्यापन तकनीकी सहायक अथवा किसी भी अन्य जिम्मेदार पंचायत पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा नहीं किया गया है। जिस कारण किए गए भुगतान की प्रामाणिकता संदिग्ध हो जाती है। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों में कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा किए गए कार्य का तकनीकी विवरण भी दर्ज नहीं किया गया है। उद्धरण हेतु पंचायत निधि (सामान्य) की रोकड़ बही में पृष्ठ 39 पर दिनांक 18.3.2017 को रंग रोगन पर किए गए ₹6300 को दर्ज किया गया है परन्तु सम्बन्धित बिल को न तो तकनीकी सहायक द्वारा प्रमाणित किया गया है और न ही निष्पादित कार्य का तकनीकी विवरण दर्ज किया गया है।

32.4:– हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **103(4)** की अनुपालना में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कोई भी लेखे तथा अभिलेख हि॰ प्र॰ लोक निर्माण विभाग के लेखों के आधार पर तैयार नहीं किए गए हैं जिस कारण पंचायत द्वारा किए अथवा करवाए गए निर्माण कार्यों की नमूना अंकेक्षण जांच में बहुत मुश्किल आई है। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

32.5:– निर्माण कार्यों में प्रयुक्त किए जाने हेतु खरीदी गई सामग्री का स्टॉक रजिस्टर तैयार नहीं किया गया अथवा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अब हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **103(4)** की अनुपालना में मैटीरियल ऐट साईट/स्टॉक रजिस्टर को हि॰ प्र॰ लोक निर्माण विभाग के लेखों के आधार पर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा इस त्रुटि के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

32.6:– तकनीकी सहायक द्वारा किसी भी निर्माण कार्य की पूर्णता की दिनांक तथा पूर्णता सम्बन्धी प्रमाणपत्र न तो मापन पुस्तिका में तथा न ही निर्माण कार्यों के रजिस्टर में दर्ज किए गए हैं। अभिलेख का यह अधूरा अनुरक्षण न केवल कार्यशैली में उदासीनता को प्रकट करता है बल्कि नियमविरूद्ध होने के कारण अनियमित भी है।

32.7:– हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) तथा 105 में पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए निरीक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों के अनुसार किए गए कार्यों की नमूना जांच सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा की जानी अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत अभिलेख में ऐसी किसी भी नमूना जांच के प्रमाण अथवा प्रमाणपत्र नहीं पाए गए हैं। यह स्पष्टतयः सिद्ध करता है कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों की अवहेलना की जा रही है तथा इस कार्यप्रणाली में संदिग्धता दिखाई देती है। इस प्रकार नियमों की अवहेलना के सन्दर्भ में तथ्यपूरक स्पष्टीकरण सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त अब तक इस प्रकार से नियमविरूद्ध किए गए अनियमित निर्माण कार्यों को सक्षम उच्चाधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाए।

33 क्रय की गई सामग्री के लेखांकन हेतु स्टॉक रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अध्याय 8 के नियम 66 से 73 तक में पंचायत द्वारा खरीदे गए सामान के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में प्रावधित नियमों तथा सरकार द्वारा समय—समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए सामान का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई (Consumable or Non-consumable) सामान के रूप में अलग—अलग पुस्तकों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए तथा क्रय की गई प्रत्येक वस्तु की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तीकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डारण पुस्तकों में लिखा जाना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत छत्त द्वारा किसी भी प्रकार स्टॉक रजिस्टरों का अनुरक्षण नहीं किया गया है। अंकेक्षणावधि के दौरान खरीदी गई समस्त सामग्री किसी भी प्रकार के स्टॉक रजिस्टरों में लेखांकित नहीं की गई है। इसी प्रकार विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु खरीदी गई सामग्री को भी स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया है। यह एक अति गम्भीर चूक है तथा सामग्री के स्टॉक रजिस्टरों में लेखांकन तथा उसके उपभोग के विवरण के अभाव में किया गया समस्त व्यय अनियमित है। अतः इस बारे में आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करके इसका नियमितीकरण सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य हेतु तुरन्त प्रभाव से नियमानुसार अलग—अलग स्थाई व अस्थाई स्टॉक रजिस्टर लगा कर प्रत्येक मद हेतु अलग—अलग पृष्ठ आबंटित करके अंकेक्षण अवधि के दौरान क्रय किए गए समस्त सामान की प्रविष्टियाँ नियमानुसार की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि प्रत्येक मद के सन्दर्भ में पंचायत के पास उपलब्ध मात्रा तथा शेष सम्बन्धी ब्यौरा हमेशा उपलब्ध हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

34 प्रत्यक्ष सत्यापनः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नही किया गया है जिस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

35 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करनाः–

हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **29 से 31** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र	**रजिस्टर/अभिलेख**	**फॉर्म संख्या**	**सन्दर्भित नियम**
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों के रजिस्टर का रख रखाव अधूरा तथा नियमानुसार नहीं किया गया है।	––	103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	15(1)
5	वर्गीकृत सार	8	29(4)
6	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11	चौकीदार को जारी की जाने वाली वर्दी का रजिस्टर	––	––

अतः इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

36 पंचायत पदाधिकारियों को देय मानदेय के सम्पूर्ण अभिलेख का अनुरक्षण न करनाः–

पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को भुगतान प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(1) के अन्तर्गत सिटिंग फीस मिलती है। ग्राम पंचायत के इस फीस के भुगतान के बिलों की जांच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बन्धी अभिलेख अथवा हाजिरी विवरण के बिना ही कर दिया गया है। इस सन्दर्भ में मानदेय रजिस्टर में

मात्र भुगतान की प्रविष्टियां ही दर्ज की जाती हैं। अतः इस अधूरे अभिलेख के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

37 **लघु आपति विवरणिका :—** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

38 **निष्कर्षः—** लेखों के रख रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। यह बात पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कर्मचारियों को लेखाओं का रख रखाव नियमयनुसार करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620046

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15 (xii) 21/2017—खण्ड—1—5724—5727, दिनाँक,18.09.2017
शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत छत्त, विकास खण्ड घुमारवीं तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड घुमारवीं, तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर हि0प्र0

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620046